

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री हीरालाल लौहार

विपक्षी :- श्री गोवर्धन लौहार

किस्म मुकदमा :- विविध आ.9नि.9 जा.दी.

पत्रावली संख्या :- 80/25 विविध

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/281

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 19.08.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी को पर्याप्त समय दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहाँ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुए विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी का कथन है कि आंखों को ऑपरेशन होने तथा दिखाई नहीं देने से ईलाज करवा रहा था। जिसके कारण अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका। इस कारण से प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए था। परन्तु वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>मूल पत्रावली संख्या 190/16 वाद का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 21.04.2025 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसमें कृषि भूमि में हक अधिकार तय नहीं किए गए। प्रकरण साक्ष्यवादी की स्टेज पर है। हम प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का होने से प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है तो किसी भी प्रकार के</p>	



हितो पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 200/— दो सो रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 190/16 वाद हिरालाल लौहार बनाम गोरधनलाल लौहार में पारित आदेश दिनांक 21.04.2025 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 06.10.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली